APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.... मुकाम ....कोटा....

....सरकार.... बनाम ....राधेश्याम....

किस्म मुकदमा ....L.R. Act 136.... नं. ....125.... सन् ....2025....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/10/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ....17/10/25.... को पेश हो।	
17/10/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम रानीपुरा के खाता संख्या 67, 68, 164 में विरासत के नामान्तरण संख्या 740 दिनांक 06.11.2024 से खातेदारों की जाति दर्ज नहीं हुई। जिसे दुरूस्त करने बाबत् अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम रानीपुरा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 67 में खातेदार बाबूलाल की जाति बैरागी दर्ज रिकॉर्ड है। सम्वत 2068–71 में खाता संख्या 64 में खातेदार बाबूलाल की जाति बैरागी दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 161 में खातेदार बाबूलाल की जाति बैरागी दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त खाता संख्या 67, 68, 164 में उक्त नामान्तरण से खातेदार की जाति दर्ज नहीं हुई। जिसे दुरूस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम रानीपुरा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 67 में खातेदार बाबूलाल की जाति बैरागी दर्ज रिकॉर्ड है। सम्वत 2068–71 में खाता संख्या 64 में खातेदार बाबूलाल की जाति बैरागी दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 161 में खातेदार बाबूलाल की जाति बैरागी दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त खाता संख्या 67, 68, 164 में उक्त नामान्तरण से खातेदार की जाति दर्ज नहीं हुई। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम रानीपुरा के खाता संख्या 67, 68, 164 में बाबूलाल के वारिसान की जाति बैरागी दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक ....17/10/25.... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (उपखण्ड अधिकारी कोटा) गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा	